(351)

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

3381
11/11/16

(413)

संकल्प

विषयः– अति कमजोर जनजातीय समूह विकास प्राधिकार (Particularly Vulnerable Tribal Group) (PVTG) Development Authority के गठन के संबंध मे।

झारखण्ड राज्य के लगभग सभी जिलों में अति कमजोर जनजतीय समूह निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी लगभग 2,96,359 है एवं कुल परिवारों की संख्या 79,006 है।

राज्य में कल्याण विभाग द्वारा अति कमजोर जनजातीय समूह के विकास हेतु सम्प्रति निम्न योजनाएँ संचालित हैः–

(क) पहाड़िया मध्याह्न भोजन योजना,

(ख) पहाड़िया विशेष स्वास्थ्य योजना ,

(ग) पहाड़िया वोकेशनल शिक्षा,

(घ) मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना,

(ड.) बिरसा आवास योजना,

(च) अति कमजोर जनजातियों का भारत दर्शन योजना,

(छ) अति कमजोर जनजातीय समूह के विद्यार्थीयों के लिए आवासीय विद्यालय योजना,

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिम जनजाति समुदाय के आर्थिक विकास हेत आधारभूत संरचना का निर्माण एवं आयवृद्धि योजना के तहत् सी०सी०डी० योजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत योजनायें ली जाती है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से आदिम जनजाति समुदाय के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए अति कमजोर जनजतीय समूह विकास प्राधिकार के गठन करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है और राज्य सरकार द्वारा अति कमजोर जनजातीय समूह के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु समेकित रूप से योजना तैयार कर उक्त समुदाय के व्यक्तियों की समस्त आवश्यकताओं का आकलन कर एक प्राधिकार के माध्यम से करने का मामला विचाराधीन था।

अतः राज्य सरकार में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सरलीकरण तथा अति कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए समेकित प्रशासन एवं प्रबंधन सुनिश्चित कर प्रतिफल उन्मुख प्रबंधन देने के लिए अति कमजोर जनजातीय समूह विकास प्राधिकार (Particularly Vulnerable Tribe Group Development Authority)(PVTGDA) के गठन करने का निर्णय लिया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकार का स्वरूप निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :– 112

(1) नामः– प्राधिकार का नाम अति कमजोर जनजातीय समूह विकास प्राधिकार **(Particularly Vulnerable Tribe Group Development Authority) (PVTGDA)** होगा एवं इसे सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत निबंधित कराया जायेगा।

(2) अति कमजोर जनजातीय समूह विकास प्राधिकार राज्य के 24 जिलों सम्प्रति जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत के जिला यथा– राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, प०सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ एवं अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत के जिला यथा– रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, देवघर, चतरा, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह एवं गोड्डा जिले में कार्य करेगा।

(3) अति कमजोर जनजतीय समूह विकास प्राधिकार के लिए राज्य स्तर पर एक सामान्य निकाय का गठन निम्नवत किया जाएगाः–

(i)	मुख्य सचिव, झारखण्ड	– अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग	– सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव उर्जा विभाग,	– सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग	– सदस्य सचिव
(v)	प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	– सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव/सचिव, स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	– सदस्य
(vii)	प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	– सदस्य
(viii)	प्रधान सचिव/सचिव समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	– सदस्य
(ix)	प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग	– सदस्य
(x)	प्रधान सचिव/सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य
(xi)	प्रधान सचिव/सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	– सदस्य
(xii)	सरकार द्वारा मनानीत गैर सरकारी संस्थानों के अति कमजोर जनजातीय समूह के दो प्रतिनिधि	– सदस्य
(xiii)	अति कमजोर जनजातीय समूह के विकास में अभिरूचि/अनुभव रखने वाले सरकार द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ	– सदस्य।

सामान्य निकाय अति कमजोर जनजातीय समूह के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए बनायी गई समेकित रणनीति का सूत्रण योजनाओं का अनुश्रवण, एवं प्राधिकार के कार्यों के निष्पादन हेतु नीति मूलक निर्देश देगी।

(4) कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्राधिकार की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा :–

(i)	प्रधान सचिव/सचिव , कल्याण विभाग	– अध्यक्ष
(ii)	योजना–सह–वित्त विभाग के प्रतिनिधि	– सदस्य
(iii)	उर्जा विभाग के प्रतिनिधि	– सदस्य

(iv)	आदिवासी कल्याण आयुक्त	–	सदस्य सचिव
(v)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(vi)	स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(vii)	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(viii)	समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ix)	ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(x)	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	–	सदस्य
(xi)	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(xii)	सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी संस्थानों के अति कमजोर जनजातीय समूह के दो प्रतिनिधि	–	सदस्य
(xiii)	अति कमजोर जनजातीय समूह के विकास में अभिरूचि/ अनुभव रखने वाले सरकार द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ	–	सदस्य।

कार्यकाारिणी का कार्य प्राधिकार के सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित नीतियों के आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जानेवाली योजनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं का सूत्रीकरण एवं उनके कार्यान्वयन हेतु नीति निर्धारण करना, योजनाओं का अनुश्रवण करना तथा योजना कार्यान्वयन के लिए राशि की व्यवस्था करना होगा।

(5) जिला स्तर पर आदिम जनजाति विकास प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी के रूप में परियोजना निदेशक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकारी एजेन्सी को प्रभावी बनाने एवं योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु जिला स्तर पर आदिम जनजाति विकास प्राधिकार की कार्यकारी एजेन्सी हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा:–

(क) उपायुक्त	–	अध्यक्ष
(ख) उप–विकास आयुक्त	–	उपाध्यक्ष
(ग) परियोजना निदेशक	–	सदस्य सचिव
(घ) अति कमजोर जनजाति समूह बहुल प्रखंड के प्रखंड प्रमुख	–	सदस्य
(ड.) जिला कल्याण पदाधिकारी/ अपर परियोजना निदेशक/ विशेष पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण	–	सदस्य
(च) सिविल सर्जन	–	सदस्य
(छ) जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
(ज) कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	–	सदस्य
(झ) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	–	सदस्य

जिन जिलों में परियोजना निदेशक का पद सृजित नहीं है उन जिलों में उप–विकास आयुक्त सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) <u>राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकार के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होंगे :–</u>

(1) अति कमजोर जनजाति समूह बहुल ग्रामों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक उन्नयन हेतु प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, पेयजल, उर्जा, स्वास्थ्य,

(110)

समाज कल्याण, ग्रामीण पथ, कल्याण, ग्रामीण विकास, कृषि, वन, लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित योजनाओं के चयन एवं उनके लिए राशि का प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के लिए मार्ग निदेश प्रदान करना होगा।

जिला स्तर पर स्थापित कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा अति कमजोर जनजाति समूह बहुल ग्रामों में लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का चयन करते हुए सक्षम प्राधिकार से पारित कराकर विभागीय स्तर पर समेकित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध करयी जाएगी जिसे प्राधिकार के सामान्य निकाय से अनुमोदनोपरान्त कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।

(2) जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा योजनाओं के सम्बन्ध में स्थल/लाभूकों का चयन प्राधिकार द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(3) कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में समीक्षोपरान्त प्रगति प्रतिवेदन विभाग स्तर पर गठित कार्यकारिणी समिति को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) प्राधिकार के सामान्य निकाय/ प्राधिकार की कार्यकारिणी एवं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए लक्षित वर्ग के लिए योजनाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(5) प्राधिकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धार 275(1) के तह प्राप्त अनुदान की राशि को पूरक (Gap filling) की तरह उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निधि के साथ समेकित विकास के लिए योजनाओं का चयन एवं उनका कार्यान्वयन किया जाएगा।

(6) प्राधिकार के द्वारा अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र में आनेवाले ग्रामों के सम्बन्ध में पूर्ण डाटाबेस तैयार किया जाएगा और समय–समय पर प्राधिकार क्षरा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभाव एवं उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा अध्ययन करते हुए भविष्य के लिए प्रभावकारी योजना तैयार की जाएगी।

(7) प्राधिकार के द्वारा अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य किये जायेंगे।

(घ) <u>राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकार में निम्न शक्तियाँ निहित होगी :–</u>

(1) अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र के विकास हेतु योजना तैयार करना एवं उन्हें स्वीकृति प्रदान करना।

(2) अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र के विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त करना।

(3) अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र में चल रहे कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित संस्थाओं, कार्यालयों एवं अभिलेखों निरीक्षण करना।

(4) अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र में चल रहीं योजनाओं के सम्बन्ध में शिकायतों का निवारण हेतु प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं उस पर निर्देश/मार्गदर्शन देना।

(5) अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र में सम्बन्धित समुदाय के उत्थान से सम्बन्धित कार्यों की वार्षिक उपलब्धि का आकलन करते हुए सम्बन्धित पदाधिकारीयों के गोपनीय चारित्री में अभ्युक्ति हेतु अनुशंसा करना।

(109)

(6) अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल क्षेत्र में सम्बन्धित समुदाय के हितों को सुनिश्चित करने हेतु PVTGDA को जिला स्तर पर कार्यरत सभी सरकारी नियंत्रणाधीन निगमों, संस्थाओं, प्राधिकारों में प्रतिनिधि भेजना।

(7) इस प्राधिकार को वही वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त होगी जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को वर्त्तमान में है एवं जो समय–समय पर प्रवृत होगी।

(8) सम्बन्धित उपायुक्त अति कमजोर जनजातीय समूह बहुल गाँव की योजनाओं की तकनीकी अनुमोदन/अनुश्रवण इत्यादि कार्यों के लिए कार्यपालक अभियन्ता तथा तकनीकी अधिकारी को नामित/प्रतिनियुक्त करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अभियन्ताओं को संविदा पर भी नियुक्त किया जा सकेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(हिमानी पाण्डे) 16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–4/आदि0जा0वि0प्राधि0-01/16 3381 राँची, दिनांकः– 11/11/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनूरोध है कि मुद्रित संकल्प की 1000 प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय।

(हिमानी पाण्डे) 16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–4/आदि0जा0वि0प्राधि0-01/16 3381 राँची, दिनांकः– 11/11/16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त झारखण्ड/ सभी परियोजना निदेशक (ITDA)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कल्यण विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

(हिमानी पाण्डे) 16
सरकार के सचिव।